

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

दिनेश v/s राजेश कौरदा

नं 168/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2205 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगें :- आराजी नम्बर 112/1 क्षेत्रफल 0.1652 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 114/01 रकबा 0.4165 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर रहेगी। राजेश पुत्र रमेशचन्द्र सोमानी, सुमित्रा पत्नी शिवनारायण बाल्दी सा0 भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :- आराजी नम्बर 112/2 रकबा 0.2015 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 113 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 114/2 रकबा 0.9492 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.1633 हैक्टेयर रहेगी। <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या
168/2024

दायर दिनांक
23.07.2024

निर्णय दिनांक
16.08.2024

उनवान

- दिनेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल लढा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज०) — वादी

बनाम

राजेश पुत्र श्री रमेश चन्द्र जी सोमानी आयु वयस्क निवासी-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
 श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री शिवनारायण जाति बाल्दी आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा। —प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- वादी स्वयं उपस्थित।
- विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात


वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री जाती है :-

ग्राम सांगानेर तहसील भीलवाड़ा .

- दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगें :- आराजी नम्बर 112/1 क्षेत्रफल 0.1652 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 114/01 रकबा 0.4165 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर रहेगी।
- राजेश पुत्र रमेशचन्द्र सोमानी, सुमित्रा पत्नी शिवनारायण बाल्दी सा0 भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 112/2 रकबा 0.2015 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 113 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 114/2 रकबा 0.9492 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.1633 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।


 (आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा